(विकास बहल, जे.)

विकास बहल जे. के समक्ष

ए. एल. टी. ए. एफ.-याचिकाकर्ता

बनाम

संघ क्षेत्र, चंडीगढ़ प्रतिवादीगण

2022 का सी. आर. आर. सं. 2442

07 दिसंबर, 2022

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015-धारा 12-भारतीय दंड संहिता, 1860-धारा। 419, 420, 467, 468, 471, 384 और 120-बी। धारा 12 के तहत जमानत केवल उस स्थिति में नियम है जब मामला अपवाद के तहत आता है, जैसा कि धारा में उल्लेख किया गया है, जमानत से इनकार किया जा सकता है-सामाजिक जांच रिपोर्ट में कोई अवलोकन अपवादों को लागू नहीं करता है-जमानत दी जाती है।

अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम की धारा 12 के तहत एक आवेदन में, जमानत नियम है और केवल उस स्थिति में जब अपीलार्थी अधिनियम की धारा 12 में उल्लिखित किसी भी अपवाद के तहत आता है, जमानत आवेदन को खारिज किया जा सकता है।

(पैरा 12)

आगे कहा कि रिपोर्ट में इस आशय का कोई अवलोकन नहीं है कि याचिकाकर्ता किसी ज्ञात अपराधी के साथ जुड़ जाएगा या उक्त व्यक्ति को नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डाल देगा या याचिकाकर्ता की रिहाई न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगी, बल्कि रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलेगा कि याचिकाकर्ता पहले ही 11 वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुका है और 12 वीं कक्षा में शामिल होने का इच्छुक है और उसका रवैया अनुकूल है और दिनांकित 28.09.2022 के आदेश के अवलोकन से पता चलेगा कि पैरा 6 में, यह देखा गया है कि याचिकाकर्ता घटना के समय एक किशोर था और एक मेधावी छात्र है और बोर्ड का इरादा उसे "कुछ समय" के लिए हिरासत में रखने का था।

(पैरा 13)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद अरशद।

आकाशदीप सिंह, एडिशनल।पीपी यूटी चंडीगढ़।

विकास बहल, जे. (ORAL)

(1) वर्तमान आपराधिक संशोधन में चुनौती दिनांकित 28.09.2022 आदेश के लिए है, जिसके अनुसार, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 12 के तहत के लिए एक आवेदन दायर किया गया है।**पुलिस थाना साइबर अपराध, जिला चंडीगढ़** में भारतीय दंड संहिता, 1860 (धारा 467,468,471 को बाद में जोड़ा गया है) की धारा 419,420,384 और 120-बी के तहत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट नंबर 21 दिनांक 17.08.2022 में जमानत की मंजूरी को खारिज कर दिया गया है।

(2) दिनांकित 15.10.2022 आदेश को भी चुनौती दी गई है, जिसके अनुसार, दिनांकित 28.09.2022 के उपरोक्त आदेश के खिलाफ दायर अपील को भी खारिज कर दिया गया है।

(3) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता को उपरोक्त मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है और वह दिनांक 20.08.2022 से हिरासत में है और जाँच पूरी हो चुकी है और चालान प्रस्तुत किया गया है और अभियोजन पक्ष के 20 गवाह हैं, जिनमें से किसी से भी अभी तक पूछताछ नहीं की गई है और इस प्रकार, मुकदमे के समापन में समय लगने की संभावना है और याचिकाकर्ता किसी अन्य मामले में शामिल नहीं है।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि 28.09.2022 दिनांकित आदेश के अवलोकन से भी पता चलता है कि पीएमजेजेबी, चंडीगढ़ ने याचिकाकर्ता की जमानत याचिका को खारिज करते हुए दर्ज किया था कि वर्तमान याचिकाकर्ता एक मेधावी छात्र है और बोर्ड का मानना है कि "कम से कम कुछ समय के लिए उसे निगरानी गृह में रखने की आवश्यकता है"।यह तर्क दिया जाता है कि 28.09.2022 के बाद भी, दो महीने से अधिक की अवधि बीत चुकी है और इस प्रकार, याचिकाकर्ता जमानत पर रिहा होने का हकदार है।यह आगे तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं था और वर्तमान याचिकाकर्ता को कथित अपराध से जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, हालांकि, वर्तमान याचिकाकर्ता से तीन मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति द्वारा इस आशय की कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है कि उक्त तीन मोबाइल फोन का उपयोग उनसे धन उगाही के लिए किया गया था, हालांकि, वर्तमान मामले में 197 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।यह तर्क दिया

जाता है कि याचिकाकर्ता को सह-अभियुक्त के प्रकटीकरण बयान के आधार पर फंसाया जाना चाहिए।यह भी तर्क दिया जाता है कि इस तथ्य के अलावा कि याचिकाकर्ता के पास गुण-दोष के आधार पर एक अच्छा मामला है, यहां तक कि राज्य द्वारा जवाब के साथ दायर सामाजिक जांच रिपोर्ट (अनुलग्नक आर-2) के अवलोकन से भी पता चलेगा कि यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता 11 वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुका है और वह खुद को 12 वीं कक्षा में नामांकित करना चाहता है और यहां तक कि याचिकाकर्ता का रवैया भी अनुकूल है और उक्त रिपोर्ट के खंड 39 और 40 में कहा गया है कि बच्चे के किसी भी गिरोह आदि में होने के संबंध में उठाया गया प्रश्न नकारात्मक है।यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि जहां तक याचिकाकर्ता के मामले का संबंध है, उसने कहा है कि वह हरियाणा का निवासी है जो अपनी बहन से मिलने गया था लेकिन उसे पकड़ लिया गया था।याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया है कि उक्त रिपोर्ट से पता चलेगा कि धारा 12 में उल्लिखित अपवादों में से कोई भी वर्तमान मामले में दूर से नहीं बनाया गया है और वर्तमान याचिकाकर्ता का किसी अन्य आरोपी व्यक्ति के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि 16 अभियुक्त व्यक्तियों में से 15 व्यक्ति राजस्थान के निवासी हैं जबकि वर्तमान याचिकाकर्ता हरियाणा का निवासी है।

(4) दूसरी ओर, विद्वान राज्य के वकील ने वर्तमान आपराधिक संशोधन का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामले में एक बहुत ही गंभीर अपराध किया गया है क्योंकि लोगों के एक गिरोह द्वारा सेक्सटॉर्शनिस्ट का एक गिरोह चलाया जा रहा है, क्योंकि पूरे देश में 197 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और पुलिस उचित परिश्रम के साथ जांच कर रही है।हालाँकि, यह विवादित नहीं है कि देश भर में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा की गई 197 शिकायतें वर्तमान याचिकाकर्ता से बरामद मोबाइल फोन से संबंधित नहीं हैं।

(5) इस न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना है और पेपर बुक का अध्ययन किया है।

(6) वर्तमान मामले के तथ्यों पर ध्यान देने से पहले, 2015 के अधिनियम की धारा 12 पर ध्यान देना प्रासंगिक होगा और इसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

‘जब कोई व्यक्ति, जो जाहिर तौर पर एक बच्चा है और जिस पर जमानती या गैर-जमानती अपराध करने का आरोप है, पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है या हिरासत में लिया जाता है या

बोर्ड के सामने पेश किया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, मुचलके के साथ या उसके बिना जमानत पर रिहा किया जाएगा या परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख में या किसी योग्य व्यक्ति की देखरेख में रखा जाएगाः-

बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति को इस तरह से रिहा नहीं किया जाएगा यदि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार दिखाई देते हैं कि रिहाई की संभावना है

- उस व्यक्ति को किसी ज्ञात अपराधी के साथ जोड़ना या

- उक्त व्यक्ति को नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डालना या

- व्यक्ति की रिहाई न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगी, और बोर्ड जमानत से इनकार करने के कारणों को दर्ज करेगा और ऐसी परिस्थितियाँ जो इस तरह के निर्णय का कारण बनीं।"

(7) अधिनियम की उपरोक्त पुनः प्रस्तुत धारा 12 के अवलोकन से पता चलेगा कि जमानत एक नियम है और किशोर के मामले में जेल नहीं है और इसे केवल उस स्थिति में अस्वीकार किया जाना चाहिए जब न्यायालय अपने समक्ष मौजूद सामग्री के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मामला अधिनियम की धारा 12 में उल्लिखित तीन अपवादों के तहत आता है।

(8) इस न्यायालय की एक समन्वित पीठ ने गुरकीरत @गोरा बनाम हरियाणा राज्य में पारित सी. आर. आर.-1019-2020 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः-

"इस पुनरीक्षण याचिका में अनुरोध विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दिनांक 31.05.2020 के आदेश के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 01.07.2020 के आदेश को स्थापित करने के लिए है, प्रथम सूचना रिपोर्ट नंबर 99 दिनांक 14.03.2020 मे याचिकाकर्ता का नियमित जमानत आवेदन भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आई. पी. सी.') की धारा 34 और 506 के साथ पठित धारा 302,323,341 के तहत दर्ज किया गया था, जिसे पुलिस स्टेशन तरौरी, जिला करनाल में खारिज कर दिया गया था।

मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट. लखविंदर सिंह द्वारा दी गई शिकायत पर दर्ज की गई थी कि वह मजदूरी का काम कर रहा है और उसके दो बच्चे हैं।उसका बेटा अस्पी @हैप्पी भी शिकायतकर्ता के साथ मजदूरी का काम कर रहा था।लगभग एक साल पहले, याचिकाकर्ता के पिता कुलविंदर सिंह ने शिकायतकर्ता के बेटे पर आरोप लगाया है

कि उसने अपनी भतीजी को छेड़ा था और उसके बाद, एक पंचायत बुलाई गई थी और मामले से समझौता किया गया था, लेकिन आरोपी को उसके बेटे अस्पी @हैप्पी के खिलाफ शिकायत थी।13.03.2020 पर लगभग 07 बजेः उनके बेटे अस्पी @हैप्पी, अपनी मां हरविंदर कौर और शिकायतकर्ता के भतीजे गुरप्रीत सिंह के साथ मोटरसाइकिल पर परविंदर कौर के लिए दवा लेने गए हैं, जिनका पंजीकरण एच. आर.-05-बी सी-8967 है और जब वे सांभी मोड़ पर पहुंचे, तो कुलविंदर सिंह, गुरकीरत @गोरा (वर्तमान याचिकाकर्ता) ने दो अन्य व्यक्तियों करनैल सिंह और बलकार सिंह के साथ उन्हें रोक दिया और इसके बाद, बलकार सिंह, जिनके हाथ में बिंदा था, ने शिकायतकर्ता के बेटे की छाती पर उसी का प्रहार किया।फिर, कुलविंदर सिंह ने शिकायतकर्ता के बेटे की पीठ पर एक और बिंदा प्रहार किया, करनैल सिंह ने शिकायतकर्ता के बेटे की छाती पर बिंदा प्रहार किया और याचिकाकर्ता-गुरकिरत उर्फ गोरा ने शिकायतकर्ता के बेटे की छाती और पीठ पर लोहे का पाइप प्रहार किया।इसके बाद, सभी हमलावर मौके से भाग गए और घायल को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी कानूनी रूप से चिकित्सकीय जांच की गई और बाद में, 14.3.2020 को उसकी मृत्यु हो गई।

Xxxxxx xxxx xxx

ए. एल. टी. ए. एफ. बनाम यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़ 67

(विकास बहल, जे.)

याचिकाकर्ता के लिए वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया है कि 2000 के अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों के अनुसार, विधायिका का इरादा किशोर को अपराध की प्रकृति या गंभीरता के बावजूद जमानत देना है, जो कथित रूप से उसके द्वारा किया गया है और इसे केवल उन मामलों में अस्वीकार किया जा सकता है जहां यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि किशोर की रिहाई से उसे किसी ज्ञात अपराधी के संघ में लाने या उसे नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डालने की संभावना है या उसकी रिहाई न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगी।

XXX XXX XXX

जांच अधिकारी के हलफनामे के माध्यम से जवाब रिकॉर्ड में है और जवाब के अनुसार, यह कहा गया है कि सत्यापन पर, यह पाया गया कि याचिकाकर्ता के साथ-साथ उसके पिता ने

पीड़ित को चोट पहुंचाई है, जबकि दो व्यक्तियों-करनैल सिंह और बलकार सिंह, जिनका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में है, को निर्दोष पाया गया।

राज्य के वकील ने मृतक की मृत्यु के कारण के बारे में राय दर्ज की है, जिसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

“इस मामले में मृत्यु के कारण के बारे में राय पहले ही 20.10.2020 पर दी जा चुकी है कि "इस मामले में मृत्यु का कारण चोट और इसकी जटिलताएं हैं"।हमारी राय में, यह पॉली-ट्रॉमा का मामला था जिसमें गंभीर तीव्र श्वसन संकट सिंड्रोम और ग्लासगो कोमा स्केल E1M1V1 के साथ सदमा था जैसा कि अस्पताल के रिकॉर्ड में बताया गया है और शव परीक्षण और मृतक के विसरा की हिस्टोपैथोलॉजिकल परीक्षा के दौरान देखे गए निष्कर्षों की पुष्टि अस्पताल के रिकॉर्ड से हुई है।हमारी राय में, चोटों के कारण होने वाली जटिलताओं में एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम और उसके बाद कार्डियक अरेस्ट शामिल थे।”

Xxx xxx xxx

दूसरी ओर, शिकायतकर्ता के वकील के ने तर्क दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, शिकायतकर्ता के परिवार और याचिकाकर्ता के पिता के बीच कुलविंदर सिंह की बेटी यानी वर्तमान याचिकाकर्ता की बहन-गुरकिरत @गोरा को घटना से लगभग 1 साल पहले मृतक अस्पी @हैप्पी द्वारा छेड़ने के कारण दुश्मनी है और पंचायत में मामले से समझौता किया गया था।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि याचिकाकर्ता की आयु 17 वर्ष से अधिक है, इसलिए उसे "वयस्क" माना जाना चाहिए और इसलिए, उसकी जमानत याचिका को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

तदनुसार, वर्तमान पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी जाती है, विद्वत मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दिनांक 31.05.2020 के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 01.07.2020 आदेश को दरकिनार किया जाता है और याचिकाकर्ता को निचली अदालत/ड्यूटी मजिस्ट्रेट/इलाखा मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए उसकी जमानत/मुचलका बांड प्रस्तुत करने के अधीन जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।”

(9) उपर्युक्त मामले के अवलोकन से पता चलता है कि जहां याचिकाकर्ता (गुरकिरत @गोरा) के खिलाफ आरोप था कि उसने शिकायतकर्ता के बेटे की छाती और पीठ पर लोहे की नली से प्रहार किया था, वहां भी याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

(10) इस न्यायालय की एक समन्वित पीठ ने विष्णु बनाम पंजाब राज्य शीर्षक वाले मामले में जमानत प्रदान की, जिसमें आरोप था कि याचिकाकर्ता ने मृतक के सिर पर चोट पहुंचाई थी और याचिकाकर्ता से उसमें एक खून से सना हुआ लकड़ी का डंडा बरामद किया गया था। उक्त निर्णय के प्रासंगिक भाग को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

"याचिकाकर्ता, जो कानून के साथ टकराव में एक बच्चा है, ने अपने पिता के माध्यम से तत्काल याचिका दायर की है, जिसमें दिनांकित 15.01.2021, अनुलग्नक पी-2 को चुनौती दी गई है, जिसमें किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 12 के तहत जमानत देने के लिए आवेदन को प्रधान न्यायाधीश, किशोर न्याय बोर्ड, रोहतक द्वारा उक्त आदेश को खारिज कर दिया गया है।

2021 (3) आर. सी. आर. (सी. आर. एल.) 239

ए. एल. टी. ए. एफ. बनाम संघ क्षेत्र, चंडीगढ़ 69

(विकास बहल, जे.)

तथ्य, संक्षेप में, यह है कि राजेंद्र की शिकायत के आधार पर, भारतीय दंड संहिता की धारा 201,302,34 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (2) (vi) (संक्षेप में "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम") के तहत इस आरोप पर प्रथम सूचना रिपोर्ट नंबर.214 दिनांक 28.05.2020 दर्ज की गई थी कि अमित उर्फ नीतू और वर्तमान याचिकाकर्ता ने उनके बेटे सोमबीर की हत्या की है।जाँच के दौरान, याचिकाकर्ता और सह-अभियुक्त को 28.05.2020 पर गिरफ्तार किया गया और उन्होंने अपने प्रकटीकरण बयान में हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार की।

XXX XXX XXX

याचिका का विरोध करते हुए, राज्य के वकील, जिन्हें शिकायतकर्ता के वकील द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, एस. आई. भगत सिंह के निर्देश पर प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता ने मृतक के सिर पर चोट पहुंचाई और एक खून से सना लकड़ी की छड़ी के साथ-साथ अपराध में इस्तेमाल की गई एक मोटरसाइकिल भी याचिकाकर्ता से बरामद की गई है।उनके निर्देशों के अनुसार, दिनांक 23. 07.2020 चालान पर प्रस्तुत किया गया है, दिनांक 10.03.2021 को आरोप तय किया गया है और अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए दिनांक 03.06.2021 के लिए मुकदमा तय किया गया है, हालांकि अभी

तक कोई भी गवाह गवाह बॉक्स में पेश नहीं हुआ है।वह प्रस्तुत करता है कि यदि याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो उसके अपराधियों के संपर्क में आने की संभावना है।प्रतिवादीगण के अनुसार, याचिकाकर्ताओं की उम्र को फिर से निर्धारित करने के लिए एक आवेदन निचली अदालत के समक्ष लंबित है।

कानून के साथ टकराव में एक बच्चे को जमानत देना एक नियम है और उसी की अस्वीकृति एक अपवाद है।अधिनियम की धारा 12 में प्रावधान है कि दंड प्रक्रिया संहिता या किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, अधिनियम की धारा 12 (1) के प्रावधान में निर्दिष्ट तीन आकस्मिकताओं को छोड़कर, कानून के साथ टकराव में एक बच्चे को जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता है।अदालतें इस हद तक मान चुकी हैं कि न तो अपराध की गंभीरता और न ही यह तथ्य कि सह-अभियुक्तों को अभी तक पकड़ा जाना बाकी है, प्रार्थना को अस्वीकार करने का आधार है।निचली अदालतें सराहना करने में विफल रही हैं। कानून की कानूनी स्थिति जिसका इस न्यायालय ने सी. आर. आर.-862-2020 में अनुसरण किया है, जिसका शीर्षक है विशाल बनाम हरियाणा राज्य ने 27.05.2020 और सी. आर. आर.-962-2020 का शीर्षक संजीव बनाम हरियाणा राज्य ने 02.07.2020 पर निर्णय लिया।

दलीलों के दौरान, प्रतिवादीगण न तो किसी सामग्री को दिखा सकते थे और न ही यह समझाने के लिए किसी सामग्री का उल्लेख कर सकते थे कि यदि याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो क्या वह नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे के संपर्क में आएगा या ज्ञात अपराधियों के संपर्क में आएगा।अभिलेख पर किसी भी सामग्री के बिना अभियोजन पक्ष की केवल आशंका जमानत देने की प्रार्थना को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी।यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि यदि कोई किशोर दोषी पाया जाता है और दोषी ठहराया जाता है, तो अधिनियम की धारा 18 (1) (फ) के तहत ज्यादा से ज्यादा 3 साल उसे विशेष गृह में बिताने का आदेश दिया जा सकता है।याचिकाकर्ता ने एक साल से अधिक समय तक कारावास में बिताया है, इसलिए याचिकाकर्ता को आगे हिरासत में रखने का कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

उपरोक्त चर्चा की अगली कड़ी के रूप में, पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया जाता है, प्रधान न्यायाधीश, किशोर न्याय बोर्ड, रोहतक द्वारा पारित दिनांक 15.01.2021 के साथ-

साथ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रोहतक द्वारा पारित दिनांक 02.02.2021 के आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है।

इस स्तर पर मामले के गुण-दोष को ध्यान में रखे बिना, याचिकाकर्ता को निचली अदालत/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए उसकी जमानत/मुचलके पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है।"

(11) सी. आर. आर.-962-2020 में संजीत बनाम हरियाणा राज्य शीर्षक वाले मामले में इस न्यायालय की एक समन्वित पीठ ने 02.07.2020 पर निर्णय लेते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की हैः-

"यहां पुनः प्रस्तुत किए गए प्रावधान को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कानून के साथ टकराव करने वाले किशोर की जमानत को अस्वीकार करने के लिए एक अपवाद बनाया गया है, अर्थात उसके किसी ज्ञात अपराधी के साथ आने की संभावना है या जमानत पर रिहा होने पर ऐसे किशोर को नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे के लिए उजागर किया जाएगा या किशोर की रिहाई न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगी।

इस तरह के अपवाद को लागू करने के लिए, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कुछ सामग्री होनी चाहिए जिसके आधार पर यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि वर्तमान मामले में किशोर की रिहाई अधिनियम की धारा 12 के तहत मान्यता प्राप्त अपवाद के अंतर्गत आएगी। अपीलीय न्यायालय द्वारा अनुलग्नक पी-1 में पारित दिनांक 13.05.2020 का विवादित आदेश इस तरह के किसी भी तर्क से पूरी तरह से रहित है।आदेश में ऐसी कोई सामग्री/साक्ष्य नहीं दिया गया है।प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित अपराध की गंभीरता अधिनियम की धारा 12 के आलोक में किशोर को जमानत की रियायत से इनकार करने का आधार नहीं होगी।

(12) उपर्युक्त निर्णय के अवलोकन से पता चलेगा कि अधिनियम की धारा 12 के तहत एक आवेदन में, जमानत नियम है और केवल उस स्थिति में जब अपीलार्थी अधिनियम की धारा 12 में उल्लिखित किसी भी अपवाद के तहत आता है, जमानत आवेदन को खारिज किया जा सकता है।

(13) वर्तमान मामले में, कानून के साथ संघर्ष करने वाले बच्चे के लिए सामाजिक जांच रिपोर्ट के अवलोकन से, जिसे केंद्र शासित प्रदेश द्वारा दायर उत्तर के साथ अनुलग्नक आर 2 के रूप में संलग्न किया गया है, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता का मामला किसी भी अपवाद के तहत नहीं आता है जिसका उल्लेख धारा 12 में किया गया है क्योंकि रिपोर्ट में इस आशय का कोई अवलोकन नहीं है कि याचिकाकर्ता किसी ज्ञात अपराधी के साथ जुड़ जाएगा या उक्त व्यक्ति को नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डाल देगा या याचिकाकर्ता की रिहाई न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगी, बल्कि, रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलेगा कि याचिकाकर्ता पहले ही 11 वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुका है और 12 वीं कक्षा में शामिल होने का इच्छुक है और उसका रवैया अनुकूल है और आदेश का अवलोकन है। और दिनांकित 28.09.2022 के आदेश के अवलोकन से पता चलेगा कि पैरा 6 में, यह देखा गया है कि याचिकाकर्ता घटना के समय एक किशोर था और एक मेधावी छात्र है और बोर्ड का इरादा उसे "कुछ समय" के लिए हिरासत में रखने का था। दिनांकित 28.09.2022 आदेश पारित होने के बाद 2 महीने से अधिक की अवधि बीत चुकी है।गुण-योग्यता के आधार पर भी, याचिकाकर्ता के तर्कपूर्ण बिंदु हैं क्योंकि याचिकाकर्ता का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं था और उसे एक प्रकटीकरण बयान के आधार पर फंसाने की मांग की गई थी, जिसके अनुसरण में, तीन मोबाइल फोन बरामद किए गए थे, लेकिन अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, हालांकि सेक्सटॉर्शनिस्ट रैकेट के संबंध में पूरे देश में 197 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, लेकिन जिन लोगों ने शिकायत की थी, उनमें से किसी ने भी मोबाइल नंबर का उल्लेख नहीं किया था जो याचिकाकर्ता से बरामद किए गए मोबाइल फोन से संबंधित हो सकते हैं।याचिकाकर्ता हरियाणा राज्य का निवासी है जबकि अन्य 15 आरोपी राजस्थान के निवासी है।याचिकाकर्ता 20.08.2022 के बाद से हिरासत में है और जांच पूरी हो चुकी है और चालान प्रस्तुत किया जा चुका है और अभियोजन पक्ष के 20 गवाहों में से किसी से भी अभी तक पूछताछ नहीं की गई है और इस प्रकार, मुकदमे के समापन में समय लगने की संभावना है और याचिकाकर्ता किसी अन्य मामले में शामिल नहीं है।

(14) उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान आपराधिक संशोधन की अनुमति दी गई है और पी. एम. जे. जे. बी., चंडीगढ़ द्वारा पारित दिनांक 28.9.2022 के विवादित आदेश और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, चंडीगढ़ द्वारा पारित दिनांक 15.10.2022 के आदेश को दरकिनार कर दिया गया है और याचिकाकर्ता को संबंधित निचली अदालत/ड्यूटी न्यायाधीश /इलाका न्यायाधीश की संतुष्टि के लिए उसकी जमानत/जमानत बांड प्रस्तुत

करने के अधीन जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया है और बशर्ते कि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता न हो।

(15) हालाँकि, ऊपर बताई गई किसी भी बात को मामले के गुण-दोष पर राय की अंतिम अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा और निचली अदालत वर्तमान मामले में की गई टिप्पणियों से स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ेगी जो केवल वर्तमान पुनरीक्षण याचिका पर निर्णय लेने के उद्देश्य से हैं।

(16) उपरोक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए सभी लंबित विविध आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

अंकित ग्रेवाल

रीतू सिंगला

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।